दिनांक 29.04.2025
प्रेस विज्ञप्ति 42/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से जापान के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फुटबॉलर व उनकी एनजीओ टीम द्वारा की गयी मुलाकात

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 से आज दिनांकः 29.04.2025 को जापान के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फुटबॉलर व उनकी एनजीओ टीम द्वारा मुलाकात की गयी।

मुलाकात के दौरान **श्री प्रशान्त कुमार**, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 व **श्री अमिताभ यश**, अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था द्वारा जापान स्थित एनजीओ एफसी नोनो/नोजोमु फाउंडेशन के संस्थापक **श्री नोजोमु हगिहारा** को पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया।

उल्लेखनीय है कि एफसी नोनो/नोजोमु फाउंडेशन के संस्थापक श्री नोजोमु हगिहारा द्वारा बच्चों को सशक्त बनाने और जापान–भारत खेल सहयोग को बढ़ावा देने जैसे धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये कोलकाता से दिल्ली तक भारत के कई राज्यों को कवर करते हुये दिनांकः 03.03.2025 से मई 2025 तक लगभग 2000 किलोमीटर की दुनिया के सबसे लम्बी फुटबॉल ड्रिब्लिंग की यात्रा की जा रही है। अपनी इसी यात्रा के दौरान एफसी नोनो, फाउंडेशन के संस्थापक व उनकी टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गुजरते समय **श्री प्रशान्त कुमार** पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, **श्री अमिताभ यश** अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, **श्री एन0 रविन्दर** अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के जी0एस0ओ0 से मुलाकात की गयी।

अपर पुलिस महानिदेशक, कानून–व्यवस्था द्वारा मार्गों के सभी जनपदों को श्री हगीहरा की सुगम यात्रा हेतु निर्देश भी निर्गत किये गये है।

एफसी नोनो/नोजोमु फाउंडेशन द्वारा फुटबॉल के माध्यम से भारत में स्वास्थ्य प्रबंधन, पोषण सुधार, शिक्षा, मानव संसाधन विकास, पर्यावरण, स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के लिए लक्ष्य एक हुक के रूप में फुटबॉल गतिविधियों के साथ, दिव्यांग एवं अनाथ बच्चों के लिए लगातार कार्य कर रही

है। श्री हगिहरा द्वारा जुवेनाइल मामलों में जेल में निरूद्ध बच्चों को मोटीवेशनल स्पीच द्वारा उनके स्वभाव में सुधार हेतु भी बिहार व बंगाल प्रान्त की जेलों में भ्रमण किया गया। **यात्रा का मुख्य उद्देश्य** बच्चों को दृढ़ता के मूल्य और चुनौतियों को स्वीकार करने के महत्व को बताना तथा जापान और भारत के बीच सांस्कृतिक और खेल आदान–प्रदान को मजबूत करना है।

कार्यक्रम का समन्वय श्री पुर्णेन्दू सिंह अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के स्टाफ आफीसर तथा वाराणसी स्थित जापानी मंदिर से जुड़े श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा किया गया।

एफसी नोनो के साथ गिनिज बुक आफ इण्डिया की वीडियोग्राफी टीम भी आयी, जो पूरी यात्रा में लगातार उनके साथ रहेगी। इस मौके पर उ0प्र0 पुलिस की फुटबाल टीम ने भी श्री हगिहरा से संवाद किया तथा फुटबाल के गुर सीखे।

communications
ANA

JAPAN
ROOKIE

JAPAN

QUARTET
communications
ANA

दिनांक 29.04.2025
प्रेस विज्ञप्ति 43/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना खतौली

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 28.04.2025 को थाना खतौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गंगनहर पटरी पर बर्फ खाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त गुफरान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद मुजफ्फरनगर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना खतौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1– गुफरान निवासी कस्बा व थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर।

<u>बरामदगी</u>

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मंसूरपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 10–10 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 12 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 300 कि0ग्रा0 तांबे का तार, 700 कि0ग्रा0 विद्युत लाइन का तार, ट्रांसफार्मर के अन्दर की पत्तियां**
- **चोरी करने के उपकरण**
- **घटना में प्रयुक्त कन्टेनर वाहन**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 28.04.2025 को थाना मंसूरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शाहपुर–मंसूरपुर मार्ग पर चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–सोम उर्फ सोमपाल 2–रविन्द्र 3–विकास 4–सलीम घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 5–सलमान उर्फ काला 6–इरफान 7–रोहित 8–नीरज 9–समीर 10–राहुल 11–अरविन्द 12–महताब उर्फ बटला सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 300 कि0ग्रा0 तांबे का तार, 700 कि0ग्रा0 विद्युत लाइन का तार, ट्रांसफार्मर के अन्दर की पत्तियां, चोरी करने के उपकरण, घटना में प्रयुक्त कन्टेनर वाहन, 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सोम उर्फ सोमपाल व रविन्द्र थाना मंसूरपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10–10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त सोम उर्फ सोमपाल के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, विद्युत अधिनियम, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग, अभियुक्त रविन्द्र के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, विद्युत अधिनियम, आर्म्स एक्ट,

गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग 02 दर्जन अभियोग व अभियुक्त समीर व राहुल के विरूद्ध जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, विद्युत अधिनियम आदि के लगभग आधा–आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोम उर्फ सोमपाल निवासी ग्राम वहलना थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर।

2–रविन्द्र निवासी ग्राम मदारपुरा थाना सरधना जनपद मेरठ।

3–विकास निवासी ग्राम मदारपुरा थाना सरधना जनपद मेरठ।

4–सलीम निवासी मोहल्ला इकराम नगर थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

5–सलमान उर्फ काला निवासी ग्राम मदारपुरा थाना सरधना जनपद मेरठ।

6–इरफान निवासी ग्राम किला परीक्षितगढ़ पट्टी थाना परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ

7–रोहित निवासी ग्राम संधावली थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

8–नीरज निवासी ग्राम फुगाना थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर।

9–समीर निवासी मोहल्ला सान्दार गार्डन लिसाडी गेट जनपद मेरठ।

10–राहुल निवासी ग्राम मदारपुरा थाना सरधना जनपद मेरठ।

11–अरविन्द निवासी ग्राम मदारपुरा थाना सरधना जनपद मेरठ।

12–महताब उर्फ बटला निवासी मोहल्ला लोनी कंचन पार्क थाना लोनी, गाजियाबाद।

बरामदगी

1–चोरी के 300 कि0ग्रा0 तांबे का तार, 700 कि0ग्रा0 विद्युत लाइन का तार, ट्रांसफार्मर के अन्दर की पत्तियां।

2–चोरी करने के उपकरण।

3–घटना में प्रयुक्त कन्टेनर वाहन।

4–04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद कन्नौज/थाना छिबरामऊ

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 04 बैटरा, 01 सोलर इन्वेटर, 01 कम्प्रेशर मोटर धुलाई मशीन, 01 गैस सिलेण्डर**
- **01 मोबाइल फोन**
- **5 हजार 200 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 29.04.2025 को थाना छिबरामऊ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अतिराजपुर मोड़ के पास पुलिया से 03 अभियुक्तों 1–राजा उर्फ आदिल 2–आसिफ अली 3–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 04 बैटरा, 01 सोलर इन्वेटर, 01 कम्प्रेशर मोटर धुलाई मशीन, 01 गैस सिलेण्डर, 01 मोबाइल फोन, 5 हजार 200 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना छिबरामऊ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छिबरामऊ पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बैटरा, इन्वर्टर आदि उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त राजा उर्फ आदिल हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कन्नौज के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना छिबरामऊ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजा उर्फ आदिल निवासी ग्राम राजापुर थाना सौरिख जनपद कन्नौज।

2–आसिफ अली निवासी ग्राम राजापुर थाना सौरिख जनपद कन्नौज।

3–अभियुक्ता।

बरामदगी

1—लूटे गये 04 बैटरा, 01 सोलर इन्वेटर, 01 कम्प्रेशर मोटर धुलाई मशीन, 01 गैस सिलेण्डर।

2—01 मोबाइल फोन।

3—5 हजार 200 रूपये नगद।

4—01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना छतारी

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 25 ग्राम पीली धातु का टुकडा**
- **06 हजार 850 रूपये नगद**
- **01 कार (बिना नम्बर)**
- **02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 28/29.04.2025 की रात्रि थाना छतारी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगलिया बम्बे के पास चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—जावेद पुत्र मुस्तफा घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—जावेद पुत्र अनवर 3—शहजाद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 25 ग्राम पीली धातु का टुकडा, 06 हजार 850 रूपये नगद, 01 कार (बिना नम्बर), 02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जावेद पुत्र मुस्तफा के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, हापुड़, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, धोखाधडी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 25 अभियोग, अभियुक्त जावेद पुत्र

अनवर के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 16 अभियोग, अभियुक्त शहजाद के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना छतारी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जावेद पुत्र मुस्तफा निवासी मोहल्ला शिवनगरी थाना कोतवाली दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2—जावेद पुत्र अनवर निवासी मोहल्ला इस्लामिया नई आबादी थाना कोतवाली दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3—शहजाद निवासी मयूर बिहार कालोनी डासना देहात थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1—चोरी की 25 ग्राम पीली धातु का टुकडा।

2—06 हजार 850 रूपये नगद।

3—01 कार (बिना नम्बर)।

4—02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद शामली/थाना झिंझाना

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **06 निर्मित अवैध शस्त्र 315 बोर**
- **14 अर्द्धनिर्मित नाल अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **04 जीवित कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 28/29.04.2025 की रात्रि थाना झिंझाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कस्बा ऊन से 03 अभियुक्तों 1—शफीक 2—अजहर 3—आरिस को गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 06 निर्मित अवैध शस्त्र 315 बोर, 14 अर्द्धनिर्मित नाल अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 04 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शफीक निवासी सुभाष नगर कस्बा ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली।

2–अजहर निवासी मोहल्ला रविदासपुरी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

3–आरिस निवासी मोहल्ला रविदासपुरी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

<u>बरामदगी</u>

1–06 निर्मित अवैध शस्त्र 315 बोर।

2–14 अर्द्धनिर्मित नाल अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

3–04 जीवित कारतूस विभिन्न बोर।

4–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना खोराबार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा थाना खोराबार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मुकेश को 07 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————